भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 67*

जिसका उत्तर बुधवार 08 फरवरी, 2017 को दिया जाना है

पूंजीगत माल संबंधी नीति का शुभारंभ

67*. श्री सी एम रमेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में पूंजीगत माल संबंधी नीति का शुभारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त नीति से विनिर्माण क्षेत्र को किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है, जिसका हाल में बीते समय में प्रदर्शन अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा है; और

(घ) आगामी पांच से दस वर्षों में उक्त नीति से रोजगार के कितने अवसरों का सृजन होने की संभावना है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य सभा के दिनांक 08.02.2017 के तारांकित प्रश्न सं. 67* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी, हां।

(ख): यह नीति इस विचार से तैयार की गई है कि कोई विनिर्माण कार्यकलापों में केपिटल गुड्स के के योगदान के भाग को वर्ष 2025 तक 12% से बढ़ाकर 20% किया जाए। इस नीति का उद्देश्य केपिटल गुड्स का उत्पादन और निर्यात स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए भारत को विश्व के शीर्ष केपिटल गुड्स उत्पादनकारी राष्ट्रों में से एक राष्ट्र बनाना है। इस नीति में भारतीय केपिटल गुड्स की प्रौद्योगिकी गहनता में सुधार लाते हुए इसको उन्नत स्तर तक पहुँचाने की भी परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति की प्रमुख संस्तुतियां निम्नवत हैं;

1) **मेक इन इंडिया पहलः** प्रमुख केपिटल गुड्स सब-सेक्टरों जैसे कि मशीन टूल्स, वस्त्र मशीनरी, अर्थमूविंग, निर्माण और खनन मशीनरी, हेवी इलेक्ट्रिकल उपस्कर, प्लास्टिक मशीनरी, प्रोसेस प्लांट उपस्कर, धातुकर्म मशीनरी और डाइज, मॉलड्स तथा प्रैस उपकरण, मुद्रण एवं पैकेजिंग मशीनरी और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी का संयोजन 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत प्राथमिक सेक्टरों के रूप में किए जाने की परिकल्पना।

2) भारत में निर्मित केपिटल गुड्स के निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टि से **'भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता स्कीम (एचआईईएमडीए)'** के लिए प्रायोगिक तौर पर एक समर्थकारी स्कीम बनाना। इसके लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) और ऐसे अन्य संगठनों की सहायता से केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए एक व्यापक ब्रांडिंग योजना विकसित करनी भी आवश्यक होगी।

3) **मौजूदा केपिटल गुड्स स्कीम को सुदृढ़ करनाः** यह नीति प्रौद्योगिकी, कौशल एवं क्षमता निर्माण, प्रयोक्ता संवर्धनात्मक कार्यकलापों, हरित इंजीनियरी और ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण एवं क्लस्टर विकास सहित संघटक का एक सेट जोड़कर बजटीय आबंटन और उसके दायरे को बढ़ाने की सिफारिश करती है।

4) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी अंतरण, आईपीआर खरीद डिजाइन एवं ड्राइंग को वित्तपोषित करने तथा साथ ही साथ केपिटल गुड्स की इन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत **प्रौद्योगोकी विकास निधि की शुरूआत करना।**

5) **'केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए स्टार्ट-अप केन्द्र' का सृजन करना,** जिसका उपयोग भारी उद्योग विभाग तथा केपिटल गुड्स के उद्योगों/उद्योग एसोसिएशन द्वारा 80:20 के अनुपात

में किया जाएगा ताकि विनिर्माण और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में आशाजनक स्टार्ट-अप्स को तकनीकी, व्यापार और वित्तीय सहायता संसाधनों और सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके। इन सेवाओं का ध्यान स्टार्ट-अप्स वृद्धि को सहेजने से पूर्व, सहेजने के दौरान और सहेजने के बाद के चरणों पर संकेंद्रित होना चाहिए ताकि इनकी ठोस नींव तैयार हो सके।

6) **अनिवार्य मानकीकरण,** जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योग के लिए न्यूनतम स्वीकार्य मानकों को परिभाषित किया जाना और अन्य मानकों के न होने पर अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के मानकों को अपनाया जाना, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों, परीक्षण/अनुसंधान संस्थानों और संबंधित उद्योग/उद्योग एसोसिएशनों सहित मानक विकासकारी संगठनों (एसडीओ) के साथ मानकों के संवर्धन तथा तैयार करने के लिए औपचारिक विकास कार्यक्रम बनाना शामिल है।

7) **स्तरोन्नयन, विकास, परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना** जैसे कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) और केपिटल गुड्स के मुख्य सब-सेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएमटीआई जैसे 10 और अधिक संस्थानों की स्थापना करना।

8) **कौशल विकासः** केपिटल गुड्स कौशल परिषद के साथ एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम/स्कीम विकसित करना और केपिटल गुड्स सेक्टर के कौशल विकास के लिए 5 क्षेत्रीय अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना।

9) **क्लस्टर अप्रोचः** प्रतिस्पर्धात्मकता के अहम संघटकों जैसे कि गुणवत्ता प्रबंधन, संयंत्र अनुरक्षण प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, लागत प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और क्षय से बचने पर बल देते हुए क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से विशेषकर केपिटल गुड्स विनिर्माणकारी लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीमें उपलब्ध कराना।

10) **मौजूदा केपिटल गुड्स विनिर्माणकारी इकाइयों का आधुनिकीकरण,** गुणवत्तायुक्त उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी पर आधारित केपिटल गुड्स के सब-सेक्टरों में विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों का आधुनिक कंप्यूटर नियंत्रित और ऊर्जा दक्ष मशीनरियों से आधुनिकीकरण।

(ग): केपिटल गुड्स विनिर्माण सेक्टर का महत्वपूर्ण घटक है। केपिटल गुड्स सेक्टर के उत्पाद वे उपकरण और मशीनरियां होती हैं जिनका उपयोग विविध सेक्टरों में अन्य सामान और उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। इस नीति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप घरेलू केपिटल गुड्स उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी गहनता के साथ उत्पादन के स्तर और निर्यातों में वृद्धि होगी। चूंकि, केपिटल गुड्स "मूल उद्योग" है। इसलिए, इसका अन्य सेक्टरों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

(घ): इस नीति में मौजूदा 1.4 मिलियन के प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाकर 5 मिलियन करने और नीति में संस्तुत उपायों के कार्यान्वयन से अप्रत्यक्ष रोजगार को मौजूदा 7 मिलियन से बढ़ाकर 25 मिलियन करने की परिकल्पना की गई है।

****